

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

Mine Code: 38RAJ09010

संख्या : RAJ/CHT/LST-7

दिनांक : 13.01.2021

प्रेषित : मेसर्स नुवोको विस्तार कारपोरेशन

(पूर्व में लाफार्ज इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड),
चित्तौर सीमेंट प्लांट, गाँव-भावलिया, तहसील-निम्बाहेरा,
जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312620
ईमेल- somnath.banerjee@nuvoco.in

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Sita Ram Ji Khara Limestone Mine** (M.L. 9A/1992, Lease area 602 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 18.12.2020 by the undersigned in presence of Shri Somnath Banerjee, Mine Manager:

| Rule No. | Nature of violation observed in detail |
|------------|---|
| Rule 11(1) | The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 26.03.2018): - (i) During the year 2019-20 exploration was proposed by drilling of 32 bore holes (1600m) but during this year drilling of 15 bore holes (745m) has been carried out. It shows the shortfall in exploration drilling. |
| 26 (2) | A yearly PMCP report for the year 2019-20 submitted vide your letter dated 29.06.2020 which was received in this office on 09.07.2020. The proposal of plantation shown in the PMCP report are not matching with approved review of mining plan with PMCP (Approved on 26.03.2018). |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय
13/01/2021
(डी. आर. मुर्मुर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो